- फल पौध रोपण विकास योजना (क्लिक करें)
- समन्वित सब्जी विकास योजना (क्लिक करें)
- टाप वर्किंग योजना (क्लिक करें)
- बाडी किचन गार्डन योजना (क्लिक करें)
- मसाला विकास योजना (क्लिक करें)
- औशधि एवं सुगंधित फसल योजना (क्लिक करें)
- आलू प्रदर्शन (क्लिक करें)
- पुष्प प्रदर्शन (क्लिक करें)
- संकर मिर्च उत्पादन (क्लिक करें)
- माईक्रो इरीगेशन योजना (क्लिक करें)
- मल्टी स्टोरी आर्चड (क्लिक करें)
- वर्मी कम्पोस्ट यूनिट (क्लिक करें)
- प्लास्टिक केटस वितरण (क्लिक करें)
- पुराने बगीचों का जीर्णोधार (क्लिक करें)
- जायद संकर बीज वितरण (क्लिक करें)
- औषधि पौध मिशन (क्लिक करें)

फल पौध (रोपण) विकास योजना

योजना की शर्ते
कृषक के पास स्वयं की सिंचित भूमि हो एवं कृषक बगीचा लगाने का इच्छुक
हों।

योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
आम 4350/-, आंवला 4900/- अमरूद 5175/- संतरा एंव 5395/- नींबू प्रति हेक्टर अनुदान प्रथम वर्ष देय है।
जिले की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर योजना जिले में संचालित है। योजना में जिन कृषको के पास स्वयः की भूमि एंव सुनिष्चित सिंचाई साधन है, उन्हे नावार्ड नार्मस के अनुसार कुल ईकाई लागत का 25ः अनुदान पौध एंव सामग्री के रूप में दिया जाता हैं। इस हेतु कम से कम 0.500 हेक्टर एवं अधिकतम 2 हेक्टर हेतु अनुदान दिया जाता है। कृषकों द्वारा 80ः पौधे जीवित रखने पर आगामी 4 वर्षोZ तक अनुदान की पात्रता है।

आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
विकास खण्ड स्तर पर उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करें।

गत वर्ष/इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 295 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - आम-130 हे, ऑवला-60 हे, संतरा-80 हे., नींबू-30 हे., अमरूद-25 हे. = 325 हे.

योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का निर्धारित आवेदन के साथ भूमि का खसरे की नकल, नक्षा, बी-1, की नकल आवष्यक है।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

2

टॉपवर्किंग योजना
पात्रता की शर्ते:-

कोई भी युवक अथवा जो बडिग, ग्राफ्टिंग कार्य की इच्छा रखते हो, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 20 दिवसीय प्रशिक्षण में 1200/- छा़त्रवृति एंव 400/- टूलकिट का दिया जाता है ं। इन्ही प्रशिक्षणथियों द्वारा टापवर्किग कार्य कराने पर प्रति सफल पौधा पर 10/- पारिश्रमिक दिया जाता हैं।
टापवर्किग विधि द्वारा देशी पौधो को उन्नत षील किस्मों में बदला जाता है। यह कार्य ग्रामीण बेरोजगार युवकों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण देने के उपरान्त कराया जाता है। आवेदन किसे प्रस्तुत करना है: -
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष/इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 32 प्रशिक्षणार्थी
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 39 प्रशिक्षणार्थी
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
जिन युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो उन्हें सादे कागज पर आवेदन पूर्ण पता के साथ देना होता है।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

3

समन्वित सब्जी विकास योजना
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जो सब्जी की खेती करते है। जिनके पास सिंचाई का सुनिष्चित साधन हो।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
सामान्य वर्ग को 1500/-रू. एंव अ.ज.जा., अ.जा. 2250/- रू. प्रति हेक्टर अनुदान दिया जाता है।
योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के कृषको को 50ः प्रतिशत एंव अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के कृषको को 75ः प्रतिशत अनुदान पर संकर (हाईब्रिड) सब्जीयों के बीज एंव दवा न्यूनतम 0.100 एवं अधिकतम 1 हेक्टर पर अनुदान दिया जाता है। आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - 275 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 283 हेक्टर
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल सहित

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

4

बाडी (किचन गार्डन) योजना

पात्रता की शर्ते:-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु/सीमांत एवं खेतीहर मजदूरों/कृषक जो खेती करते है।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनार्न्तगत 50/- रू कीमत का उन्नत सब्जी बीज मिनिकिट प्रदाय किया जाता
है। राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु/सीमांत एवं खेतीहर मजदूरो को इस योजना के अन्तर्गत सब्जी बीज (मिनिकिट) निःशुल्क वितरण किये जाते हैं।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 4500 मिनिकिट
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 5500 मिनिकिट
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र मय बी.पी.एल. नम्बर सहित।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

5

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

मसाला विकास योजना
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जो मसाला फसलों की खेती करते है।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनार्न्तगत धनिया, मिर्च 100/- अदरक 350/-, लहसुन 250/- प्रति मिनिकिट प्रदाय किया जाता हैं।
मसाला वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढावा देने के उद्धेष्य से मसाला मिनिकिट की योजना प्रारंभ है। जिसमें धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक आदि के बीज मिनिकिट के रूप में निषुल्क सभी वर्ग के कृषकों को प्रदाय किया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है: -
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 6000 मिनिकिट
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 4380 मिनिकिट
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र मय खसरा की नकल सहित।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

6

vk"kf/k ,o lxf/kr Qly ;ktuk

ik=rk dh 'krs %&

सभी वर्ग के कृषक कृषक को औशधि एवं सुगंधित फसलों की खेती करते है।

1. योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप :–

योजनान्तर्गत औशधि एवं सुगंधित फसलों के 100/–रू. बीज मिनिकिट प्रदाय किया जाता है।

योजनार्न्तगत सभी वर्ग के कृषकों को औशधी सुगंधीत फसलो के रकबे में वृद्धि हेतु जिले में उत्पादित फसले जैसे अ वगंधा, सर्पगंधा, चन्द्रसूर, सनाय, इसबगोल एवं अन्य प्रजाती के बीज निः   ुल्क प्रदाय किये जाते है।

2. आवेदन किसे प्रस्तुत करना है :–

आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।

3. गत वर्ष/इस वर्ष का लक्ष्य :–

वर्ष 2009–10 का लक्ष्य – 4000 मिनिकिट

वर्ष 2010–11 का लक्ष्य – 2000 मिनिकिट

6. योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज :–

योजना का आवेदन पत्र मय खसरा की नकल सहित।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

आलू प्रदर्शन
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जो आलू फसलों की खेती करते है।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत 480/- बीज एवं 20/- की बीजोपचार दवा कुल 500/- प्रति प्रदर्शन निःषुल्क प्रदाय किया जाता है।
आलू के उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनार्न्तगत सभी वर्ग के कृषकों को उन्नत नये नये किस्मों का बीज निःषुल्क प्रदाय किया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - 1200 प्रदर्शन
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 3000 प्रदर्शन
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र मय खसरा की नकल सहित।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

8

पुष्प प्रदर्शन
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जो पुश्प फसलों की खेती करते है।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत कुल लागत का 75ः अथवा अधिकतम 3000/- का प्रति प्रदर्शन बीज/बल्व निःशुल्क दिया जाता हैं।
प्रदेश में पुश्पों की बढ़ती मांग एवं पुश्प की व्यवसायिक खेती से कम क्षेत्र में अधिक आमदानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुश्प प्रदर्शन की योजना प्रांरभ है। योजनार्न्तगत गुलाब, गेंदा, ग्लाडिया, ग्लेडिओलस, रजनीगंधा आदि प्रमुख पुश्प के उन्नत बीज/बल्व, कटिंग रोपण सामग्री के रूप में 400 वर्ग मीटर के प्रदर्षन दिये जाते है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 200 प्रदर्शन
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 233 प्रदर्शन
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:- योजना का आवेदन पत्र मय खसरा की नकल सहित।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

9

संकर मिर्च उत्पादन
पात्रता की शर्ते:-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों हेतु जिनके पास स्वयं की भूमि एवं सिंचाई का साधन हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजना के तहत प्रति प्रदर्षन 7000/- की सामग्री दी जाती है।
योजना के तहत संकर मिर्च उत्पादन हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों हेतु संकर मिर्च उत्पादन की योजना में अधिकतम 0.500 हेक्टर तक प्रदर्शन पर बीज, दवा, खाद के रूप में दिया निःषुल्क दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - 25 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 40 हेक्टर
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र मय खसरा की नकल सहित।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

10

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

माईक्रो इरीगेशन योजना
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जिनके पास फलोद्यान का बगीचा एवं स्वयं की सिंचाई का साधन हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
सामान्य वर्ग को कुल लागत का 70ः एवं अनु.ज.जाति/अनु.जाति वर्ग के कृषको हेतु
80ः प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
योजनान्तर्गत लघु सिंचाई को बढ़ावा देने एंव कम पानी में अधीक सिचाई करने हेतु जिले में ड्रिप (टपक सिंचाई) एवं स्प्रींकलर पर प्रति हितग्राही को न्यूनतम 0.500 हेक्टर एवं अधिकतम 5 हेक्टर तक ड्रिप सयंत्र स्थापना में पौधों की दूरी अनुसार अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार उद्यानिकी फसलों पर स्प्रींकलर पर भी अनुदान दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- ड्रिप-3 हेक्टर, स्प्रींकलर-20 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - ड्रिप-60 हेक्टर, स्प्रींकलर-200 हेक्टर
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन, पत्र, खसरा की नकल, नक्षा, बी-1, भूमि एवं जल परिक्षण रिपोर्ट, एंव 5/- रू. के स्टाम्प पर षपथ पत्र

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

11

मल्टी स्टोरी आर्चड

पात्रता की शर्ते:-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के कृषकों के लिए।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत बी.पी.एल.वर्ग के कृषकों को 45000/-रू. का अनुदान दिया जाता है। जिसके अन्तर्गत 1 एकड़ क्षेत्र में फैसिंग, विद्युत डीजलपम्प, हाईब्रिड पुश्प, सब्जी बीज एवं ड्रिप सिस्टम स्थापना हेतु अनुदान दिया जाता है।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु आर्थिक सहायता देकर कम भूमि में अधिक से अधिक फल, सब्जी, पुश्प उत्पादन हेतु अनुदान दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 20 यूनिट
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - अप्राप्त
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल, नक्षा, बी-1, एवं बी.पी.एल.कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

12

वर्मी कम्पोस्ट यूनिट
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषकों को जो जैविक उद्यानिकी फसलों की खेती करते हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार 600 वर्ग फिट की क्षमता वाला वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु कुल लागत 30,000/-रू. का 50ः अनुदान अथवा अधिकतम 15000/-रू. प्रति वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर दिया जाता है।
सभी वर्ग के कृषकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करता हो। जैविक खाद के उपयोग को बढावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण हेतु कुल लागत का 50ः प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 100 यूनिट
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - अप्राप्त
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल, नक्श, बी-1,

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

13

प्लास्टिक क्रेटस वितरण
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल 250/-रू लागत पर 50ः अनुदान अथवा 125/- प्रति क्रेटस की दर से दिया जाता है।
सभी वर्ग के कृषकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हो अपने फसल के परिवहन हेतु उनकों 50ः अनुदान दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता
है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य- 1600 प्लास्टिक क्रेट्स
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - अप्राप्त
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

14

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषक जिनके पास पुराने फलोद्यान का बगीचा हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत आम के 25-30 वर्ष, तथा नींबू एवं अमरूद के 12 वर्ष पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार
के लिए प्रति कृषक 0.250 हेक्टर से 2 हेक्टर तक रू.15000/-रू. प्रति हेक्टर अनुदान की पात्रता होगी।
योजनान्तर्गत पुराने बगीचों की उत्पादकता बढाना एवं कृषकों के हित में बगीचों को लाभदायक
एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - 10 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - अप्राप्त
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल, नक्षा, बी-1 एवं बगीचा का भौतिक सत्यापन
रिपोर्ट

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

15

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

जायद संकर बीज वितरण
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत कृषकों को 250/-रू. का संकर बीज एव ं 150/-रू. का पादप नियामक हार्मोन्स
की सामग्री निःषुल्क दी जाती है।
शासन द्वारा गरीब कृषको ं को गर्मी में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नदी नाले के बहते पानी एवं रिक्त पडी भूमि के समुचित उपयोग हेतु षंकर तरबूज/खरबूज, ककड़ी आदि के संकर बीज एवं पादप नियामक हार्मोन्स पर षत्प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।
गत वर्ष/इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - अप्राप्त
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - अप्राप्त
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:- योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल, नक्षा, बी-1

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

16

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

औषधि पौध मिशन
पात्रता की शर्ते:-

सभी वर्ग के कृषकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हों।
योजना के तहत देय लाभ एवं योजना का स्वरूप:-
योजनान्तर्गत कुल लागत 65,000/-रू. पर 20 प्रतिशत 13,000/-रू. प्रति हेक्टर अनुदान
सभी वर्ग के कृषकों को दिया जाता है।
मध्य प्रदेष राज्य औशधीय पौध मिषन योजनान्तर्गत औशधि पौधों के क्षेत्र विस्तार हेतु ऑवला पौध रोपण के तहत सभी वर्ग के कृषकों को योजना का लाभ दिया जाता है।
आवेदन किसे प्रस्तुत करना है:-
आवेदन उद्यान अधीक्षक/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।
गत वर्ष /इस वर्ष का लक्ष्य:-
वर्ष 2009-10 का लक्ष्य - 25 हेक्टर
वर्ष 2010-11 का लक्ष्य - 50 हेक्टर
योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज:-
योजना का आवेदन पत्र, खसरा की नकल, नक्षा, बी-1

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

सहायक संचालक उद्यान
जिला-सिवनी

17